

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/420A/2012

दर्ज दिनांक:- 2012

1. श्यामलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. बैनीप्रसाद पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम

प्राथी अभिभाषक

भूपत कुमार जैन

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-06.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। वादीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आयी। दावा वादीगण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर